

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.09.2024	<p>राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान बनाम गेन्दी देवी किस्म मुकदमा : रेफरेन्स मु0नं0 07 / 2018</p> <p>राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी गेन्दी देवी पत्नि रूगनाथ जाति कोली की तलबी हेतु जारी नोटिस लौटकर प्राप्त होने पर नोटिस पर अंकितानुसार अप्रार्थी गेन्दी देवी पत्नि रूगनाथ जाति कोली की तलबी हेतु पता पूर्ण रूप से अंकित नहीं होने के कारण तामील करवाया जाना सम्भव नहीं है। अप्रार्थी के विरुद्ध प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अप्रार्थी की तलबी हेतु पूर्ण पता अंकित नहीं किया गया है। अप्रार्थी की तलबी हेतु सही पते की सूचना के अभाव में प्रकरण अनावश्यक रूप से न्यायालय में विचाराधीन है। तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा जो रेफरेन्स प्रस्तुत किया गया है वह स्वच्छ टंकित नहीं है एवं अप्रार्थी की तलबी हेतु अप्रार्थी का पता भी स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के तलबी हेतु सही पते की सूचना के अभाव में रेफरेन्स प्रकरण चलाये जाने योग्य नहीं है।</p> <p>अतः प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि अप्रार्थी गेन्दी देवी पत्नि रूगनाथ जाति कोली की तलबी हेतु पूर्ण पता सहित स्वच्छ टंकित संशोधित टाइटल एवं रेफरेन्स पेश किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजात सहित रेफरेन्स नये सिरे से इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।</p> <p>( सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलक्टर ,दौसा</p>	



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

